<u>दिनांक 02.01.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर डिक्रीदार के अधिवक्ता उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी अनुपस्थित है।

पत्रावली क अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह इजराय वाद डिक्री दिनांकित 04.05.2009 के अनुपालन हेतु प्रस्तुत की गई है। डिक्रीदार द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्णीतऋणी द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध लघुवाद निगरानी माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की थी। जो दिनांक 27.04.2022 को निरस्त कर दी गई है। तत्पश्चात उनके द्वारा यह इजराय वाद प्रस्तुत किया गया है।

इजराय वाद के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नोटिस की तामीला कराये जाने हेतु दो बार जरिये डाक नोटिस भेजे गये है, लेकिन दुकान बन्द होने के पृष्ठांकन के साथ नोटिस वापस आये है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि दुकान बन्द होना, यह नोटिस की तामीला की श्रेणी में माना जायेगा। तदनुसार निर्णीतऋणी के विरूद्ध नोटिस तामीला माना जाता है। निर्णीतऋणी को अन्तिम अवसर न्यायहित में दिया जाता है कि वह नियत तारीख तक डिक्रीदार को सन्तुष्टि करे अथवा कोई आपत्ति हो तो दाखिल करें। अन्यथा उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

पत्रावचली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 19.01.2023 को पेश हो।

ह0
अपर जिला जज
न्यायालय संख्या–01, आगरा।